न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–157/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/157)

1. काना पुत्र श्रवण
2. प्रभू पुत्र श्रवण
3. जगन्नाथ पुत्र हजारी
4. गुमान पत्नि भागचंद
5. रिंकू नाबालिग पुत्री भागचंद नाबालिग पुत्री जरिए संरक्षक माता गुमान पत्नि भागचंद
6. मुकेश नाबालिग पुत्री भागचंद नाबालिग पुत्री जरिए संरक्षक माता गुमान पत्नि भागचंद
7. घासी पुत्र रामचंद्र
8. पांची पत्नि हजारी **(फौत)**
   वारिसान अपीलार्थी संख्या 3 से 6 समस्त जातिगण जाट निवासी चांदसेन तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
9. रघुनाथ पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी चांदसेन तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. सोहन पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी ग्राम चांदसेन तहसीलं नसीराबाद जिला अजमेर।
2. जगन्नाथ पुत्र धूकल
3. मंगला पुत्र धूकल
4. सोजी पुत्र धूकल समस्त जातिगण माली निवासी ग्राम चांदसेन तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. मैनेजर, आईसीआईसीआई शाखा नसीराबाद जिला अजमेर
6. मैनेजर, एस.बी.बी.जे शाखा तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.06. 2022 राजस्व वाद संख्या 06/2018

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सुखदेव चौधरी, नवीन गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 07.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 02.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 06/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए तथा अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि सम्पूर्ण खातेदारान एवं पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया है तथा बिना बंटवारा आधे हिस्से के खातेदारान को पक्षकार बनाए बिना ही आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा सम्पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है एवं रास्ता विद्यमान होने पर भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो निरस्त होने योग्य है तथा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा मौका तलब होने पर उभयपक्ष की बहस सुनते हुए स्वयं न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2022 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 07.06.2022 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 06/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावाकृत भूमि हाल खसरा नम्बर 1213 व 1214 व 1217 जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी सोहन पुत्र रामनाथ व रेस्पोडेंट जगन्नाथ व मंगला व सोजी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि का आवागमन मार्ग हाल खसरा नम्बर 1229, 1228, 1227 में से होकर है तथा मौके पर रास्ता उपलब्ध है जो दिनांक 12.09.2018 को गिरदावर हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा स्वयं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार कर निस्तारण किया गया में भी स्पष्ट है किंतु रास्ता संकीर्ण होने की बात कहकर गैर कानूनी विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर मौके पर बिना लंबाई चौडाई नजरी नक्शा तैयार किए ही बिना अपीलार्थीगण की मौजूदगी रिपोर्ट तैयार कर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जो निरस्त होने योग्य है। मौके पर प्रार्थी के खेतों पर आवागमन का रास्ता हाल खसरा नम्बर 1229, 1228, 1227 से जुडे खेत 1217 जो प्रार्थी का खातेदारी खेत में विद्यमान है तथा प्रार्थी उसमें से होकर आता जाता है के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जहां कोई रास्ता है ही नहीं एवं खसरा नम्बर 1128 भूमि गोपाल वल्द नंगा कौम रेबारी की खातेदारी में दर्ज है तथा एसबीआई शाखा तिहारी रहन के रूप में दर्ज है को बिना पक्षकार बनाए अपीलाधीन निर्णय पारित कर उक्त हाल खसरा नम्बर 1128 से रास्ता दिया गया है जो भूल कारित कर अपने अधिकारों से परे जाते हुए निर्णय पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चांदसेन के हाल खसरा नम्बर 1132, 1133, 1134, 1215, 1216, 1132/1668 में मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा हाल खसरा नम्बर 1217 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसमें हाल खसरा नम्बर 1229, 1228, 1227 से रास्ता विद्यमान है जिस बाबत भू0अ0नि

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

एवं न्यायालय स्वयं द्वारा रास्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई का अवलोकन ही नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने की आशय से मिलीभगत कर सम्पर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है।माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 06/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2021(2)आर0आर0टी0 1286 न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1/प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के शामलाती खसरा संख्या 1213, 1214 में आवागमन हेतु मार्ग नहीं है। अतः खसरा संख्या 1132/1668, 1133, 1134, 1215 में से जो कि अपीलार्थीगण की शामलाती आराजी है रास्ता दिलवाया जाए ताकि अप्रार्थी संख्या1/प्रार्थी अपने खेत की जुताई व कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्रों का परिवहन कर सके। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा अप्रार्थी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किए गए तथा उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात तहसीलदार, नसीराबाद को मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रार्थी संख्या 1/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता की अत्यंत आवश्यकता मानते हुए खसरा संसंख्या 1132, 1132/1668, 1133, 1134, 1215 मे से निकटतम रास्ता दिया जाना जाहिर किया। उक्त भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट की ताईद में उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा भी दिनांक 03.06.2022 को स्वयं मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें अप्रार्थी संख्या 1/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता जाहिर होती हैं। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट व उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति में तैयार की मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 07.06.2022 को अप्रार्थी संख्या1/प्रार्थी को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की मूल भावना के मध्यनजर खसरा संख्या 1132, 1132/1668, 1134, 1215 में से रास्ता दिए जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मिमो में उज्र लिया की अप्रार्थी संख्या 1/प्रार्थी के खेत में आन– जाने हेतु खसरा संख्या 1229, 1228, 1227 में से रास्ता उपलब्ध है जबकि सत्यता यह है कि उक्त मार्ग पूर्ण नहीं है व अत्यंत संकीर्ण है और प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त संकीर्ण मार्ग की पूर्ति खसरा संख्या 1233, 1238, 1242, 1244, 1260, 1060 में से होकर ही हो सकती है जो कि कुल 1704 वर्गमीटर होगा जो दीर्घतम है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मिमो में उज्र लिया की उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश में खसरा संख्या 1128 में से भी रास्ता दिया गया है जो गोपाल वल्द नंगा कौम रेबारी के नाम दर्ज है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि सत्यता यह है कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.06.2022 में खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1128 के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा भी खसरा संख्या 1128 में से रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि उक्त खसरा मौके पर रास्ते के रूप में ही प्रयुक्त हो रहा है जिसकी ताईद भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट से होती है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मिमो में उज्र लिया की भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार व उपखण्ड अधिकारी की मौका रिपोर्ट जो प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उसका बिना अवलोकन किए व मिलीभगत से आदेश दिनांक 07.06.2022 पारित किया गया है। जबकि सत्यता यह है कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा व उपखण्ड अधिकारी निर्मित मौका रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया के अनुसरण में तैयार की गई। यदि अपीलार्थीगण को उक्त मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति थी तो आपत्ति प्रस्तुत करते या राजस्व मण्डल में चाराजोही करते। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 07 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपनी खातेदारी काश्तकारी जिसके हाल खसरा नम्बर 1213, 1214 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1132, 1132/1668, 113, 1134, 1215 से होते हुए अपने खातेदारी खेतो में प्रवेश करता है एवं उपरोक्त खसरा नम्बरान में से प्रार्थी करीबन 15 फुट रास्ता उपलब्ध कराया जावें। अधीनस्थ न्याालय ने उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को दिनांक 14.08.2018 को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 24.12.2018 को अप्रार्थी संख्या 1से 7 व 9 से 11 तामीली होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए इसलिए एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा अप्रार्थी संख्या 08 के नोटिस पर फौते होने की सूचना प्राप्त हुयी। अप्रार्थी संख्या 12 से 15 के नोटिस प्राप्त नहीं होने पर पुनः नोटिस पेश करने व वारिस रेकार्ड पर लेने हेतु आगामी पेशी दिनांक 12.02.2019 नियत की गई। दिनांक 27.12.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया गया। दिनांक 15.09.2020 को अप्रार्थी संख्या 08 के वारिसान की ओर से श्री सीताराम रावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या 13, 15 के नोटिस व तलबी जवाब बहस प्रार्थना आगामी पेशी दिनांक 30.09.2020 में नियत है तत्पश्चात दिनांक 24.05.2022 को अप्राथी संख्या 15 के वकील जवाब हेतु अवसर चाह गया किन्तु पूर्व में समुचित अवसर दिये जो चुके है अतःजवाब बंद किया जाता है तथा उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.06.2022 नियत की गई। दिनांक 07.06.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ग्राम चांदसेन के खसरा नम्बर 1132 में से 48 मीटर लम्बा, 1132/1668 में से 28 मीटर लम्बा, 1133 में से 54 मीटर लम्बा, 1134 में से 48 मीटर लम्बा एवं 1215 में से 48 मीटर लम्बा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये गये, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है

CamScanner

कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खेत में आने–जाने के हेतु खसरा नम्बर 1229, 1228, 1227 में से रास्ता उपलब्ध है जबकि सत्यता यह है कि उक्त मार्ग पूर्ण नहीं है व अत्यन्त संकीर्ण है और प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1233, 1238, 1342, 1244, 1260, 1060 में से होकर भी दिया जा सकता है, जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1227 1228, 1229, 1233, 1238, 1242, 1244 1060 में से रास्ता दिये जाने पर भूमि 1704 वर्गमीटर रास्ते में आ रही है जबकि खसरा नम्बर 1132, 1132/1668, 1133, 1134, 1215 में से 904 वर्गमीटर ही भूमि रास्ते में आ रही है इस प्रकार मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकटतम है और खसरा नम्बर 1227 1228, 1229, 1233, 1238, 1242, 1244 1060 में से रास्ता दिया जाता है तो दीर्घतम रास्ता है। अभिभाषक अपीलांट का यह भी कथन है कि खसरा नम्बर 1128 में से रास्ता दिया गया है जो गोपाल वल्द नंगा कौम रेबारी के नाम दर्ज है जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि सत्यता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा दिनांक 07.06.2022 को पारित आदेश में खसरा नम्बर 1128 में से रास्ते बाबत् कोई आदेश नहीं दिये गये है किन्तु मौका रिपोर्ट दिनांक 24.09.2018 में यह अंकन किया गया है कि "लघुत्तम रास्ता व चांदसेन से कुराड़ी जाने वाली कच्ची सड़क खसरा नम्बर 1124 के मध्य से सम्पर्क रास्ता 1128 राजस्व नक्शें में दर्शित है जो मौके पर रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रहा है परन्तु जमाबंदी के खाता संख्या 24 में खसरा नम्बर 118 रकबा 0.05 बारानी गोपाल वल्द मंजा जाति रेबारी के नाम दर्ज है, यदि प्रस्तावित लघुत्तम रास्ता (वादी) प्रार्थी को आवागमन हेतु दिया जाता तो खसरा नम्बर 1128 को भी सिवायचक दर्ज किया जाना उचित होगा"। **चूँकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 में खसरा नम्बर 1128 बाबत् रास्ता नहीं दिया गया है किन्तु यदि उक्त आदेश की आड़ में खसरा नम्बर 1128 को सिवायचक दर्ज किया गया है तो उक्त खसर नम्बर 1128 की पूर्व की स्थिति को बहाल रखा जावे।** भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा व उपखण्ड अधिकारी निर्मित मौका रिपोर्ट विधिक प्रक्रिया के अनुसरण में तैयार की गई। यदि अपीलार्थीगण को उक्त मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति होती तो आपत्ति मौका रिपोर्ट तैयार करते समय प्रस्तुत कर सकते थे, जो उनके द्वारा नहीं की गई। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपनियम 69 की पालना पूर्णतया विधिनुसार की जाकर उक्त आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। उपरोक्त विवेचन केक्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 06/2018 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

CamScanner